समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

A — 559-I-16

अपील प्रकरण कमाक /2016 जवलपुर

झुन्नीलाल गोंड पुत्र स्व श्री सुन्दर गौड निवासी 11 नान्हाखेडा तहसील व जिला जवलपुर म.प्र. ।

.............अपीलार्थी

श्री सुनील सिंह ...... द्वारा आज दि. 16.2.16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जवलपुर ।
2. महाजन सेन पुत्र श्री सुखलाल निवासी 2188 मेडिकल गोल क्वाटर के पीछे श्री अम्बेडकर चौक तक तहसील व जिला जवलपुर म.प्र.
3. रमेश श्रीपाल पिता स्व श्री प्यारेपाल निवासी मकान नं. 107 ग्प्रम सिवनी टोला तिलवाराघाट तहसील व जिला जवलपुर म.प्र.

..........प्रत्यार्थीगण

न्यायालय कलेक्टर , जिला जवलपुर द्वारा प्रकरण क्र 346/अ–21/2013–2014 मे पारित आदेश दिनांक 19.10.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू – राज्य संहिता 1959 की धारा 44 के अधीन अपील ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे अपीलार्थी की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एंव विधि के उपवन्धो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाथी द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्प्रम नान्हाखेडा प0ह0नं0 33/26 रा0नि0मं0 जवलपुर–2 तहसील व जिला जवलपुर स्थिति भूमि खसरा नं. 111/2 रकवा कमशः 0.72 हेक्टे .(1.77 एकड) अपीलार्थी की स्वयं की निजी कृषि भूमि है जो भूमि कम उपजाउ है जिससे उसमे फसल पैदा नही हो पाती ऐसी स्थिति मे उक्त

(1)

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

झुन्नीलाल गोंड़ निवासी 11 नान्हाखेड़ा जबलपुर विरूद्ध म0प्रशासन

प्रकरण कमांक 559 – एक/ 2016 जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार अभिहस्ताक्षर
19-2-2016	यह अपील कलेक्टर जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक ३४६/ अ-२१/ २०१३-१४ में पारित आदेश दिनांक १९-१०-२०१५ के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ४४ के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलांट के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। २/ अपीलांट के अभिभाषक ने बताया कि अपीलांट ने उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक १११/२ रकबा ०.७२ हैक्टर स्थित ग्राम नान्हाखेड़ा के विकय की अनुमति इसलिये मांगी है कि यह भूमि कम उपजाउ एंव कम पैदावार देने वाली है । अपीलांट को बच्चों की शिक्षा एंव बैंक ऋण चुकाने के लिये रूपयों की आवश्यकता है जिसके कारण इस भूमि को वह विकय करना चाहता है। उन्होंने अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की। ३/ अपीलांट के अभिभाषक के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदक ने कलेक्टर छतरपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे नंबर १११/२ रकबा ०.७२ हैक्टर के विकय किये जाने की मांग इस आधार पर की है कि इस भूमि को विकय करने का अनुबन्ध उसने रिस्पा० कमांक २ व ३ से किया है जो उसे उचित मूल्य देकर भूमि कय कर रहे है इसी आशय का अनुबंन्ध पत्र भी विकय अनुमति आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है। कलेक्टर जबलपुर ने विकय अनुमति आवेदन की जांच अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर से कराई है। तहसीलदार जबलपुर-२ ने जांच कर प्रतिवेदन दिनांक १४-८-१५ प्रस्तुत किया है जिसमें बताया गया है कि अपीलांट ग्राम नान्हाखेड़ा का निवासी है एंव इसी ग्राम में उसके पास ३.४२ हैक्टर भूमि है वह अपने बच्चों की शिक्षा के लिये भूमि विकय कर रहा है। यदि भूमि	

विक्रय की अनुमति मिलती है तब भूमि विक्रय करने के उपरांत श्री ... पास २.७१ हैक्टर भूमि जीवनयापन हेतु शेष बचेगी। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रतिवेदन दिनांक १८-८-१५ में बताया है कि अपीलांट को भूमि का प्रस्तावित मूल्य १७,२८,०००/- प्राप्त होगा एंव विक्रय उपरांत उसके पास ग्राम नान्हाखेड़ा में २.७१ हैक्टर भूमि शेष बचेगी। सन २०१३-१४ के खसरे की प्रतिलिपि अनुसार अपीलांट के नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है । अपीलांट के अभिभाषक के अनुसार भूमि एकफसली होकर कम उपजाउ है परन्तु उसके भूमिस्वामी स्वत्व की स्वअर्जित भूमि होने से वह विक्रय अनुमति अनुसूचिज जनजाति का होने के कारण मांग रहा है।

४/ अपीलांट के नाम भूमि सर्वे कमांक १११/२ रकबा ०.७२ हैक्टर स्थित ग्राम नान्हाखेड़ा भूमि स्वामी स्वत्व पर अभिलेख में अंकित है । प्रत्येक भूमिस्वामी यदि उसे पटटा प्राप्त भी हुआ है, १० वर्ष पटटे की शर्तों का पालन कर लेने के वाद भूमिस्वामी होने पर वह भूमि का प्रत्येक प्रकार के उपभोग के लिये स्वतंत्र होता है जबकि ग्राम नान्हाखेड़ा स्थित अपीलांट के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक १११/२ रकबा ०.७२ हैक्टर पटटे की भूमि नही होना एंव स्वअर्जित होने का तथ्य बहस के दौरान बताया गया है जिसके कारण ऐसी भूमि के विक्रय की अनुमति दिये जाने में बैधानिक अड़चन नही है।

५/ उपरोक्त विवेचना-स्वरूप अपील स्वीकार की जाकर कलेक्टर जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक ३४६/ अ-२१/ २०१३-१४ में पारित आदेश दिनांक १९-१०-२०१५ त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव अपीलांट को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम नान्हाखेड़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक १११/२ रकबा ०.७२ हैक्टर के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यदि प्रस्तावित केता चालू वर्ष की गाईड लायन के मान से भूमि का मूल्य देने तैयार हो।
2. विक्रय पत्र प्रस्तुत करने पर विक्रय धन विकेता व्दारा अपीलांट्स के नाम पंजीयन दिनांक को जमा होने की पुष्टि कर उप पंजीयक वाद-विचारित भूमि का विक्रय पत्र पंजीयत

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

3

झुन्नीलाल गोंड़ निवासी 11 नान्हाखेड़ा जबलपुर विरूद्ध म0प्रशासन

प्रकरण कमांक 559 – एक/ 2016 जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षक अभि हस्त
	करेंगे। 3. भूमि के विकय पत्र का निष्पादन इस आदेश से तीन माह की समयावधि में करना अनिवार्य होगा। 4. मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 में दिनांक 21 अगस्त, 2015 को किये गये संशोधन अनुसार शासन मद में प्रचलित गाईड लायन के मान से निर्धारित राशि जमा करने के उपरांत ही विकय संपादित किया जायेगा। सदस्य	